



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

क्रमांक/३०३२/प.स./2023

भोपाल दिनांक ४/०६/2023

डी.एल.एड (द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम) प्रथम/द्वितीय वर्ष नियमित परीक्षा वर्ष 2023

//आदेश//

मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2022-23 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) नियमित परीक्षा प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन-पत्र नियत सामान्य शुल्क के साथ एम.पी.ऑनलाईन के कियोस्क अथवा पोर्टल के माध्यम से दिनांक 10.06.2023 से 20.06.2023 तक भर सकेंगे। उक्त तिथि के पश्चात् नियत शुल्क के अतिरिक्त ₹100/- विलम्ब शुल्क के साथ दिनांक 25.06.2023 तक भरे जा सकेंगे।

नियमित प्रथम/द्वितीय वर्ष के परीक्षार्थी के परीक्षा आवेदन पत्र भरने के निर्देश –

- (1) समस्त मान्यता एवं संबंद्हता प्राप्त संस्थाएँ प्रवेश हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर User Id & Passsword प्रदाय कर कॉउनसिंलिंग उपरांत संस्थावार प्रवेश दिया जाता है, संस्था प्राचार्य उसी User Id & Passsword से मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा वर्ष 2023 के परीक्षा आवेदन ऑनलाईन भर सकेंगे। मण्डल द्वारा पृथक से परीक्षा आवेदन पत्र भरने हेतु User Id & Passsword प्रदाय नहीं किये जावेगे। संस्था प्राचार्य पासवर्ड की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। प्रविष्टी उपरांत प्रत्येक आवेदन का प्रिन्ट आउट सादे कागज पर कियोस्क से प्राप्त करेंगे। परीक्षा आवेदन-पत्र में समस्त प्रविष्टियाँ एवं छायाचित्र प्रवेश आवेदन-पत्र के समय भरे गये विवरण अनुसार स्क्रीन पर प्रदर्शित होंगी। केवल परीक्षार्थीवार विषयों का चयन एवं शुल्क का भुगतान करने का परीक्षा आवेदन पत्र ऑनलाईन जमा होंगे।

परीक्षा उत्तीर्ण करने की पात्रता

आदेश क्रमांक 728-29/परीक्षा/समन्वय/2018, भोपाल दिनांक 13.04.2018 द्वारा डी.एल.एड. द्वि-वर्षीय पाठ्यक्रम (प्रथम/द्वितीय वर्ष) की परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु प्रवेश दिनांक (प्रवेशित वर्ष का माह जुलाई) से अधिकतम तीन निरन्तर वर्ष प्रदाय किये जावेंगे, यह व्यवस्था आदेश जारी होने के दिनांक से लागू रहेगी। नियमानुसार निम्न परीक्षार्थियों को आवेदन भरने की पात्रता रहेगी—

- 1 शिक्षण सत्र 2022-23 प्रवेशित नवीन अभ्यार्थी प्रथम वर्ष का परीक्षा आवेदन नवीन पाठ्यक्रम के विषय चयन कर भर सकेंगे। मण्डल से संबंद्हता प्राप्त संस्थान के वे ही छात्र आवेदन कर सकेंगे जिनको संस्थानों द्वारा शासन से जारी प्रवेश नियमों के अन्तर्गत प्रवेश दिया गया है, तथा जिनके द्वारा पाठ्यक्रम हेतु NCTE निर्धारित शैक्षणिक दिवसों एवं शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम विधिवत पूर्ण किया है।
- 2 शिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेशित प्रथम वर्ष उत्तीर्ण छात्र द्वितीय वर्ष नवीन पाठ्यक्रम का परीक्षा आवेदन भर सकेंगे।
- 3 शिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेशित प्रथम वर्ष अनुत्तीर्ण छात्र तृतीय अवसर में अनुत्तीर्ण विषयों में सम्मिलित हो सकेंगे।
- 4 शिक्षण सत्र 2020-21 के ऐसे छात्र जो प्रथम वर्ष उत्तीर्ण हैं अथवा द्वितीय वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं ऐसे छात्र द्वितीय वर्ष के अंतिम अवसर में सम्मिलित हो सकेंगे।

अन्य राज्यों/अन्य मण्डलों से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण, D.El.Ed. प्रथम वर्ष में प्रवेशित छात्रों के ऑनलाईन परीक्षा आवेदन-पत्र भरते समय ग्राह्यता दस्तावेजों (हायर सेकेण्डरी स्वाध्यायी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र तथा हायर सेकेण्डरी नियमित उत्तीर्ण होने की स्थिति में अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण-पत्र की स्व प्रमाणित प्रति अपलोड की जाना आवश्यक होगा।

(3) डी.एल.एड परीक्षा नियमित द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से उन छात्रों के भरे जा सकेंगे, जिन्होंने प्रथम वर्ष की परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2021-22 में निर्धारित अवसरों में परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो। ऐसे परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र प्रथम वर्ष के अनुक्रमांक की प्रविष्टि करने पर पूर्ण डाटा ऑनलाइन के पोर्टल पर प्रदर्शित होगा, केवल छात्र के पाठ्यक्रम अनुसार विषयों की प्रविष्टि कर शुल्क का पेड़ किया जाना है।

(4) समस्त (D.El.Ed.) आवेदन पत्रों की प्रविष्टि उपरांत संस्था प्राचार्य कियोस्क से शुल्क एवं आवेदनों की पावती प्राप्त करें। आवेदन के साथ पात्रता संबंधी अभिलेख एवं अन्य राज्य बोर्ड के प्रकरणों में आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित दस्तावेज तथा केवल मूल मार्झेशन दस्तावेज दिनांक 26.06.2023 तक संबंधित संभागीय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संभागीय अधिकारी दस्तावेज एवं आवेदन पत्र अपने कार्यालय में सुरक्षित रखेंगे। ग्राहयता एवं पात्रता परीक्षण मण्डल स्तर पर नहीं किया जावेगा, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ नं.40-10/2016/20-2 के बिन्दु क्रमांक 10.1 व 10.2 के अनुसार राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा डी.एल.एड. के प्रवेश संबंधी कार्यवाही की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र. भोपाल द्वारा सम्बद्धता प्राप्त संस्थाओं में प्रदेश के बाहर के समकक्ष दूसरे शिक्षा मण्डलों/महाविद्यालयों से परीक्षा उत्तीर्ण कर प्रवेश लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों के ग्राहयता संबंधी दस्तावेजों का परीक्षण कर राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा प्रवेश के समय ग्राहयता का निर्धारण संबंधी निर्णय लेकर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण किया गया है। प्रवेशित छात्रों के गलत दस्तावेज गलत प्रवेश का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य व जिले की डाईट संस्था प्राचार्य का होगा।

(5) प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष के नियमित के समस्त छात्रों को मण्डल से नामांकन कराया जाना अनिवार्य होगा। छात्र का परीक्षा आवेदन—पत्र ऑनलाइन भरते समय छात्रों की परीक्षा शुल्क के साथ नामांकन की शुल्क ₹250/- रुपये भी जमा करेंगे। छात्रों को नामांकन हेतु पृथक से नामांकन कार्ड प्रदाय नहीं किये जाएंगे। नामांकन क्रमांक अंकसूची में निर्धारित स्थान में प्रविष्ट कर प्रदाय की जावेगी। संभागीय कार्यालय पृथक से नामांकन जारी नहीं करेंगे।

(6) संस्था प्रमुख सुनिश्चित करेंगे कि नियमित प्रशिक्षणार्थियों की उपस्थिति 75 प्रतिशत होना अनिवार्य है, 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले परीक्षणार्थियों को आवेदन करने की पात्रता नहीं होगी। फार्म में छात्र की उपस्थिति का प्रतिशत भी अंकित किया जाएगा। इस विषय में मण्डल विनियम में उल्लेखित कण्डिका 203, 208, 209 एवं 210 के अनुसार नियमित छात्रों की उपस्थिति विषयक प्रावधान लागू होंगे।

(7) संबंधित प्राप्त शासकीय एवं अशासकीय डी एड संस्थान के नियमित परीक्षार्थी आवेदन पत्र एम पी ऑनलाईन के कियोस्क के माध्यम से संस्था प्राचार्य द्वारा स्वयं प्रविष्ट कराये जायें किसी भी स्थिति में छात्र को कियोस्क पर नहीं भेजा जाए।

किसी भी स्थिति में प्रवेशित छात्र जिसने प्रथम वर्ष परीक्षा आवेदन नहीं भरा है, उन्हें यह सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी। द्वितीय वर्ष के अभ्यर्थी ने जिस अवसर का परीक्षा आवेदन नहीं भरा है, उसका वह अवसर स्वतः समाप्त हो जावेगा। आवेदन पत्र भरने के पश्चात् प्रवेश—पत्र जारी होने पर भी छात्र परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है, तो निरन्तर आने वाली अनुगामी परीक्षा का लाभ ले सकेगा, किन्तु जो अवसर का लाभ नहीं लिया है, वह उसे प्रदान नहीं किया जावेगा।

पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र


प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) प्रथम वर्ष नियमित हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने के समय निम्न डाक्युमेंट जमा करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्राचार्य/प्रमुख एवं छात्र का होगा। ओवदन—पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जमा न होने की स्थिति में परीक्षा आवेदन पत्र मान्य नहीं किया जावेगा। संबंधित छात्र संस्था में उपस्थित होकर, संस्था द्वारा भरे गये फार्म में अंकित जानकारी एवं संलग्न पात्रता दस्तावेज की पुष्टि स्वयं करें कि संस्था द्वारा परीक्षा फार्म में भरी जानकारी व संलग्न दस्तावेज पूर्ण है।

प्रवेशित छात्रों के गलत दस्तावेज अथवा गलत प्रवेश का संपूर्ण दायित्व संबंधित संस्था प्राचार्य व जिले की डाईट संस्था प्राचार्य का होगा।

- माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल अथवा समकक्ष बोर्ड से हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी (+2) परीक्षा उत्तीर्ण की अंक सूची की सत्यापित प्रति।
- राज्य के बाहर/अन्य बोर्ड के परीक्षार्थी द्वारा अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांसफर सर्टिफिकेट एवं प्रवजन (माइग्रेशन) प्रमाण—पत्र।

| प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (D.El.Ed.) परीक्षा (प्रथम/द्वितीय वर्ष) की शुल्क का विवरण | | राशि |
|--|--|-----------|
| क्र | विवरण | |
| 1 | परीक्षा शुल्क (नियमित सम्पूर्ण विषय) | ₹ 4,000/- |
| | दो विषय की परीक्षा शुल्क | ₹ 1,000/- |
| | चार विषय की परीक्षा शुल्क | ₹ 2,000/- |
| | चार से अधिक विषय की परीक्षा शुल्क | ₹ 4,000/- |
| 2 | नामांकन शुल्क | ₹ 250/- |
| 3 | ग्राह्यता शुल्क (केवल अन्य राज्य/अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु) | ₹ 450/- |


एम. पी. ऑनलाईन के सेवा केन्द्र संचालक को शुल्क ₹ 25/- रूपये पृथक से देय होगा।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल
भोपाल दिनांक: ०८/०६/२०२३

पृष्ठांकन क्रमांक/३०३/प.स./२०२३

प्रतिलिपि—

- नि.स. अध्यक्ष, उपाध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
 - प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल।
 - आयुक्त आदिवासी विकास सतपुड़ा भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
 - संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी-विंग अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
 - समस्त जिला कलेक्टर मध्यप्रदेश।
 - समस्त संभागीय, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
 - समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - आंचलिक/समस्त संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश।
 - समस्त प्राचार्य, शासकीय/अशासकीय डी.एड.संस्थान म.प्र. की ओर भेजकर लिखा जाता है कि परीक्षा फार्म भरने के निर्देश विद्यालय में छात्रों की जानकारी हेतु सूचना पटल पर भी चर्चा करावें।
 - सी.एस.ओ./पंजीयक-डाटा, परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि सहा./स.स./क.अ.-गोपनीय, परीक्षा, डी.एड.सेल।
 - नि.स-सचिव, अतिरिक्त सचिव, उपसचिव, परीक्षा, नियंत्रक, लोक सूचना अधिकारी, मा.शि.मण्डल।
 - संचालक, एम.पी.ऑनलाईन मध्यप्रदेश भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
मध्यप्रदेश, भोपाल